

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1019/2018/जयपुर.

मैसर्स कृष्णम, वैशाली नगर, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-आई, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

मूल निर्णय दिनांक : 29/09/2018

संशोधन आदेश दिनांक : 04/10/2018

आदेश

उक्त अपील संख्या 1019/2018/जयपुर में राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा दिनांक 29.09.2018 को निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय जारी होने के पश्चात् यह ज्ञात होने पर कि निर्णय के आदेश दिनांक 29.09.2018 में निम्नानुसार लिपिकीय त्रुटि टंकित हो गयी थी –

“दिनांक : 29.09.2018”

अतः उक्त निर्णय में (Suo-moto) लिपिकीय त्रुटि को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, “29.09.2018 के स्थान पर दिनांक 28.09.2018” पढ़ा जावे :-

उक्तानुसार अपील संख्या 1019/2018/जयपुर के निर्णय को संशोधित किया जाता है। संशोधन आदेश की प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे एवं पक्षकारों को प्रेषित की जावे।


(मदनलाल मालवीय)
सदस्य